[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क

अधिसूचना सं. 08/2017-सेवा कर

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी, 2017

1 फाल्गुन, 1938 शक

सा.का.नि. (अ), - जहांकि, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि 1 जुलाई, 2012 से प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाली अवधि (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त अवधि से संदर्भित किया गया है) के दौरान सामान्तया प्रचलित प्रथा के अनुसार, कचरों का कामन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लाण्ट्स के ऑपरेटरों के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा पर कोई सेवा कर नहीं लगाया जाता था, जबकि उक्त अवधि के दौरान इस सेवा पर सेवा कर लगाया जाना चाहिए था, लेकिन उक्त प्रथा के चलते इसका भुगतान नहीं किया गया था।

अत: अब, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 83 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11ग के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार इस बात के लिए निर्देश देती है कि वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66ख के अंतर्गत कामन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लाण्ट्स के ऑपरेटरों के द्वारा प्रदान की गई सेवा पर जो सेवा कर लगाया जाना था लेकिन उक्त प्रथा के चलते उक्त अवधि में उसका भुगतान नहीं किया गया था, का अब भुगतान करने की जरूरत नहीं है।

(डॉ. श्रीपार्वती एस.एल)

अवर सचिव, भारत सरकार

[फा.सं. 137/28/2016-सेवा कर]